

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/मुप-1/2017/पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 22 MAY 2017

—आदेश—

श्री प्रमोद कुमार भार्गव अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा), जिला परिषद, जैसलमेर की सेवाएं इनके पैतृक विभाग को तत्काल प्रभाव से लौटाई जाती है एवं कार्यमुक्त किया जाकर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने उपस्थिति अपने पैतृक विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) में प्रस्तुत करें ।

यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है ।

(सीमा सिंह)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर ।
4. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर ।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि श्री भार्गव का कार्यभार तत्काल अन्य किसी अधिकारी को दिलाने का श्रम करें ।
6. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर ।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर ।
8. श्री प्रमोद कुमार भार्गव, अधिशाषी अभियन्ता(महात्मा गांधी नरेगा.) जिला परिषद, जैसलमेर ।
9. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

(राजेश कुमार शर्मा)

परियोजना अधिकारी(प्रशासन)